न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, मुण्डावर(अलवर)

पीठासीन अधिकारी :— सुनिता यादव (R.A.S.)

दावा सख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
220/2019	22.07.2019	06.03.2020

उनवान

1. राजबीर पुत्र जगलाल जाति जाट नि0 नीमलाका तहसील कोटकासिम हाल ततारपुर तहसील मुण्डावर जिला अलवर, राज0।

—: वादी

बनाम

1. फूलपति देवी पत्नी सुलतानसिंह जाति जाट निवासी खोड तहसील पटोदी जिला गुडगांवा हरियाणा।
2. गेरघन पुत्र श्री सुण्डाराम जाति गुर्जर निवासी भग्गू का बास तहसील बानसूर जिला अलवर राजस्थान।
3. श्रीमान तहसीलदार महोदय मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान।
4. श्रीमान सबरजिस्ट्रार महोदय मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान।

—: प्रतिवादीगण

दावा:— इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज व हु0ई0 दवामी

....

—: निर्णय :—

दिनांक :— 06.03.2020

आज यह पत्रावली वास्ते सुनाये जाने आदेश पेश हुई। वकुलाय उपस्थित आये। वादी के वाद का सारतः रहा कि हाल आ0ख0न0 924/0.58, 937/1.05 का 3/10 भाग व 921/0.51 का 25/60 भाग 928/0.48, 929/0.32 का 3/10 भाग व 941/1.53 का 3/20 भाग व 945/0.70 का 3/10 भाग व 926/1.04 है0 का 31/520 भाग वाके ग्राम ततारपुर तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0 मे स्थित होकर विवादित आराजी कहलायेगी। आराजी मुतनाजा पूर्व में श्योराम पुत्र अर्जुन, उर्मिला बेवा लक्ष्मण, पवन कुमार, नीतू, सुमन पुत्र व पुत्री लक्ष्मण जाति जाट निवासी ततारपुर के कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी रही है जिसे उक्त खातेदारान ने दिनांक 22.05.06 को फूलपति प्रतिवादी संख्या 01 को 1/2 भाग एवं शांति पत्नी उम्मेद जाति जाट को जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा के बाकब्जा बेचान कर दिया और केता प्रतिवादी संख्या 01 वक्त खरीद से काबिज आराजी हो गई थी एवं जरिये इन्तकाल संख्या 2431 के फूलपति प्रतिवादी के नाम आराजी दर्ज व मंजूर हो गई। उक्त दिनांक को फूलपति प्रतिवादी ने दो बैयनामे कराये थे। एक बैयनामा उपरोक्त व्यक्तियों से एवं एक बैयनामा बनवारी पुत्र अर्जुन जाति जाट निवासी ततारपुर से कराया था। इस बैयनामा का इन्तकाल भी प्रतिवादी संख्या 01 के नाम दर्ज व मंजूर हो गया था। आराजी मुतनाजा प्रतिवादी संख्या 01 ने जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा बाकब्जा प्रतिवादी संख्या 02 को दिनांक 01.05.2008 को बेचान कर दिया और कब्जा सम्भलवा दिया। उक्त बैयनामा के आधार पर इन्तकाल संख्या 2713 प्रतिवादी संख्या 02 के नाम दर्ज व मंजूर हो

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर)

गया परंतु इन्तकाल संख्या 2713 का अमल जमाबन्दी में नहीं आया। इसी इन्तकाल संख्या 2713 के आधार पर प्रतिवादी संख्या 02 ने आराजी मुतनाजा का बेचान जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा के दिनांक 06.07.2009 को मिनवादी को बाकब्जा एवं बऐवज प्रतिफल के कर दिया और तब से आराजी मुतनाजा पर काबिज होकर बहैसियत खातेदार काश्त करता आ रहा हूं। आज भी मौके पर कब्जा है। प्रतिवादीगण व अन्य किसी का आराजी मुतनाजा से किसी प्रकार का कोई वास्ता नहीं है ना ही प्रतिवादीगण के आराजी मुतनाजा के राजस्व रिकॉर्ड में नाम रहने का कोई विधिक अधिकार हासिल है जिसका गैर कानूनी रूप से विधि विरूद्ध अमल हो रहा है। इस प्रकार से नाम रहने से वादी के हक हकूक जायल होते है तथा आराजी मुतनाजा का वादी खातेदार काश्तकार की घोषणा कराने को मुश्तहक है। वादी को बैयनामे दिनांक 06.07.2009 के आधार पर खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवं इसी कदर वादी के हिस्से तक प्रतिवादी का नाम कलमजन किया जाकर वादी के नाम का अंकन किये जाने के आदेश फरमाये जावे आदि–आदि का अंकन करते हुये वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जावे कि आराजी मुतनाजा से प्रतिवादीगण का नाम मिनवादी के हिस्से तक हजफ किया जाकर बैयनामा के अनुसार संभाग का खातेदार घोषित किया जावे व प्रतिवादीगण को हु0ई0 दवामी से पाबंद किया जावे कि वे मिनवादी को बेदखल ना करे ना ही विवादित आराजी को दीगर जगह रहन, बैय आदि से मुन्तकिल ना करे आदि का निवेदन रहा।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर बाद विधिवत तलबी प्रतिवादी संख्या 1, 2, 4 बावजूद विधिवत सूचना अनुपस्थित रहने की स्थिति में इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई एवं प्रतिवादी संख्या 03 पैरोकार सरकार द्वारा बार–बार दिये जाने अवसर उपरांत जवाब सरकार पेश नहीं किये जाने की स्थिति में जवाब का अवसर समाप्त किया गया।

वादी ने अपने वादपत्र की ताईद में दस्तावेजी साक्ष्य स्वरूप बैयनामा दिनांक 06.07.2009 प्रदर्श–1, बैयनामा दिनांक 01.05.2008 प्रदर्श–2, नकल नामान्तकरण संख्या 2431 प्रदर्श–3, नकल नामान्तकरण संख्या 2713 प्रदर्श–3ए व नकल नामान्तकरण 2431 प्रदर्श–4, नकल जमाबन्दी संवत 2071–74 किता 5 प्रदर्श–5 पेश किये है एवं मौखिक साक्ष्य स्वरूप शपथ–पत्र राजबीर पी. डब्ल्यू.–1, विजय सिंह पी. डब्ल्यू.–2, उदय पी. डब्ल्यू.–3 पेश किये जो शामिल पत्रावली है।

वकील वादी की बहस अंतिम सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वादी के वादपत्र के जिमनो को दोहराते हुये अभिकथन किया कि विवादित आराजीयात श्योराम पुत्र अर्जुन, उर्मिला बेवा लक्ष्मण, पवन कुमार, नीतू, सुमन पुत्र व पुत्रियान लक्ष्मण के कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी रही है जिसे उन्होंने फूलपति को 1/2 भाग एवं शान्ति पत्नी उम्मेद को जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 22.06.06 के द्वारा बेचान कर दिया था और क्रेता प्रतिवादी संख्या 01 वक्त खरीद से काबिज आराजी हो गई थी जिसका जरिये इन्तकाल संख्या 2431 फूलपति के नाम दर्ज व मंजूर हो गया तथा इन्तकाल स्वीकृति के दिन को ही फूलपति ने दो बैयनामे कराये थे। एक बैयनामा उपरोक्त खातेदारान से एवं एक बैयनामा बनवारी पुत्र अर्जुन से कराया था। बैयनामों का इन्तकाल भी प्रतिवादी संख्या 01 के नाम दर्ज व मंजूर हो गया था तथा फूलपति ने रजिस्टर्ड बैयनामा प्रतिवादी संख्या 02 को दिनांक 01.05.08 को आराजी मुतनाजा का बेचान कर दिया तथा बैयनामा के आधार पर प्रतिवादी संख्या 02 के नाम इन्तकाल संख्या 2713 दर्ज व मंजूर भी हो गया था लेकिन अमल जमाबंदी में नहीं आया तथा इन्तकाल के आधार पर प्रतिवादी संख्या 02 ने आराजी मुतनाजा का बेचान जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 06.07.2009 को मिनवादी को बाकब्जा, बऐवज प्रतिफल के बेचान कर दिया था तब से ही मिनवादी आराजी मुतनाजा पर बहैसियत खातेदार काश्त करता आ रहा हूं। प्रतिवादी संख्या 01 का नाम बेजा रूप से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो रहा है जिस हेतु आराजी मुतनाजा का वादी को खातेदार काश्तकार

घोषित किया जावे एवं मिनवादी की हिस्से आराजी की हद तक प्रतिवादी का नाम कलमजन किया जाकर मिनवादी का नाम रिकॉर्ड में अंकन कराये जावे का अभिकथन किया।

वकील वादी की ध्यानपूर्वक बहस सुनी गयी एवं पत्रावली व पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किये जाने उपरांत उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी के वाद को यह न्यायालय स्वीकार योग्य पाता है।

आदेश

अतः वादी का वाद स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में आराजी खसरा नंबर 924/0.58, 937/1.05 का 3/10 भाग व 921/0.51 का 25/60 भाग 928/0.48, 929/0.32 का 3/10 भाग व 941/1.53 का 3/20 भाग व 945/0.70 का 3/10 भाग व 926/1.04 है0 का 31/520 भाग वाके ग्राम ततारपुर तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0 के बाबत के वादी के वाद को डिकी किया जाता है एवं उक्तानुसार आराजीयात के बाबत वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा वादी के हिस्से आराजी की हद तक हाल राजस्व रिकॉर्ड से प्रतिवादीगण के नाम को हजफ किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्तानुसार ही हाल राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावें। तदानुसार पर्चा डिकी जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 06.03.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय सुनाया गया।

Sd/ 06/03/2019

(सुनिता यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, मुण्डावर

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर)

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, मुण्डावर(अलवर)

पीठासीन अधिकारी :– सुनिता यादव (R.A.S.)

दावा सख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
220 / 2019	22.07.2019	06.03.2020

उनवान

1. राजबीर पुत्र जगलाल जाति जाट नि0 नीमलाका तहसील कोटकासिम हाल ततारपुर तहसील मुण्डावर जिला अलवर, राज0।

–: वादी

बनाम

1. फूलपति देवी पत्नी सुलतानसिंह जाति जाट निवासी खोड तहसील पटोदी जिला गुडगांवा हरियाणा।
2. गेरधन पुत्र श्री सुण्डाराम जाति गुर्जर निवासी भग्गू का बास तहसील बानसूर जिला अलवर राजस्थान।
3. श्रीमान तहसीलदार महोदय मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान।
4. श्रीमान सबरजिस्ट्रार महोदय मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान।

–: प्रतिवादीगण

दावा:– इशतकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज व हु0ई0 दवामी

–: पर्चा डिक्री :–

वादी की ओर से **श्री बस्तीराम यादव एडवोकट** की उपस्थिति एवं प्रतिवादीगण की **अनुउपस्थिति में** इस वाद में **आज दिनांक 02.03.2020** को **श्रीमति सुनिता यादव, उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर** के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है **और डिक्री दी जाती है कि :–**

अतः वादी का वाद स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में आराजी खसरा नंबर 924 / 0.58, 937 / 1.05 का 3 / 10 भाग व 921 / 0.51 का 25 / 60 भाग 928 / 0.48, 929 / 0.32 का 3 / 10 भाग व 941 / 1.53 का 3 / 20 भाग व 945 / 0.70 का 3 / 10 भाग व 926 / 1.04 है0 का 31 / 520 भाग वाके ग्राम ततारपुर तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0 के बाबत के वादी के वाद को डिकी किया जाता है एवं उक्तानुसार आराजीयात के बाबत वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा वादी के हिस्से आराजी की हद तक हाल राजस्व रिकॉर्ड से प्रतिवादीगण के नाम को हजफ किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्तानुसार ही हाल राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावें। तदानुसार पर्चा डिकी जारी हो। वाद शीर्षक निर्णय एवं पर्चा डिक्री का अभिन्न अग रहेगा।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 06.03.2020 को मेरे द्वारा लिखायी जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सुनिता यादव)

उपखण्ड अधिकारी एवं

पदेन सहायक कलक्टर, मुण्डावर जिला अलवर राज0

उपखण्डाधिकारी

मुण्ड़ावर (अलवर)